

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-112/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० ज्योति जायसवाल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्थावाँ, नालन्दा का दिनांक-20.03.2017 से 26.02.2019 तक की अविनियमित अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-112/2025- 963(2) पटना, दिनांक 8/5 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्थावाँ, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० ज्योति जायसवाल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्थावाँ, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*Waman K. Singh*  
सरकार के उप सचिव।